

RBE No.39/2018



PCPO's Sl.No.42/2018

No. E/9(E)/O/ECR/HJP

Dated:- 21.03.2018

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
8. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना
10. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय: Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.01.2018

संदर्भ:- Rly. Board's Lt. No.PC-VII/2016/1/7/2/1 Dated : 19.03.2018

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(पंकज कुमार)
वकाधि/ एम.पी.पी.
कृते महाप्रबंधक/ कार्मिक/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकैयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस०.सी०./ एस०.टी०./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आरबीई सं.: 39/2018

पीसी-VII सं. 97

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2018

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेलवे कर्मचारियों को 01.01.2018 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 06.10.2017 के पत्र आरबीई सं. 137/2017 (फाईल नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01 जनवरी, 2018 से मूल वेतन के 5% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 7% किया जाएगा।


2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता-पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम-1303-(एफआर-9(21)) भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

5. महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मार्च, 2018 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।


(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No.- 97

File No. PC-VII/2016/1/7/2/1

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

RBE No.: 39/2018

New Delhi, dated: 19 .03.2018

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.01.2018.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No 137/2017 dated 06.10.2017 (F. No. PC-VII/2016/1/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 5% to 7% of the basic pay with effect from 1st January, 2018.


2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume -II (Sixth Edition – 1987) – Second Reprint 2005.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2018.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

New Delhi, dated: 19 .03.2018

File No. PC-VII/2016/1/7/2/1

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.


For Financial Commissioner, Railways